बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : आरोपियों के साथ पेशी के दौरान वकीलों ने मारपीट की

मामले में अभी तक पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार व तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया है

अजमेर, (कासं)। ब्यावर जिले के बिजयनगर में नाबालिग छात्राओं से रैप व ब्लैकमेल कांड के मुखिया पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी को सोमवार को लंबे समय के रिमांड के बाद अजमेर की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अजमेर कोर्ट में वकीलों ने कुरेशी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कुरेशी को कोर्ट से पुलिस वेन में लेकर रवाना हुई। इससे पहले भी इस मामले में अजमेर के वकीलों ने पिटाई की थी। सरकारी वकील रूपेंद्र सिंह परिहार ने सोमवार को रिमांड के बाद हाकिम कुरैशी को अदालत में पेश किया था। कुरैशी को कोर्ट ने 11 मार्च तक जेल भेज दिया। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 10 आरोपियों गिरफ्तार व तीन नाबालिकों को निरुद्ध किया है।

ब्यावर जिले के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में पुलिस ने सोमवार को पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी रिमांड अवधि समाप्त होने पर अजमेर की पॉस्को कोर्ट में पेश किया।

- **सोमवार को अजमेर जिले का श्रीनगर कस्बा पूरी तरह बंद रहा, व्यापारियों ने समर्थन दिया**

सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि आरोपियों का सहयोग करने वाले पूर्व पार्षद हाकिम कुरेशी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दो बार उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था, सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्हे 11 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।

गौरतलब है कि प्रकरण में अन्य आरोपी सोहेल, रेहान, श्रवण जाट, करीम, आशिक, लुकमान, अफराज, पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी, जावेद, कैफे संचालक सांवरमल न्यायिक अभिरक्षा में हैं, साथ ही मामले में 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। वहीं ब्लैकमेल कांड को लेकर सकल हिंदू समाज में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को अजमेर जिले का श्रीनगर कस्बा पूरी तरह बंद रहा, व्यापारियों ने दुकानें बंद का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान स्कूल, मेडिकल शॉप, बस सहित अन्य सेवा बहाल रही। ग्रामीणों ने रैली निकाल कर आरोपियों को फांसी दिए जाने और सीबीआई जांच की मांग की।

वन अधिकारी की हत्या पर श्रीगंगानगर में आक्रोश फैला

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ और रेंजर एसोसिएशन ने स्थानीय प्रशासन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 24 फरवरी को राजसमंद जिले में खनन माफिया के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार की हत्या करने के मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही मृतक क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार को शहीद का दर्जा देने के साथ ही परिजनों को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की गई है।

राजीव बिश्नोई ने बताया कि 24 फरवरी को राजसमंद जिले के बिजा गुड़ा में वन भूमि पर अवैध खनन को रोकने के दौरान खनन माफिया द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार और वन रक्षक विष्णु कुमार पर ट्रैक्टर से हमला किया गया। इस हमले में किशोर कुमार की मौत हो गई, जबकि विष्णु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रेम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि यह घटना वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। अवैध खनन और अतिक्रमण के मामलों में बढ़ती घटनाओं के बावजूद वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और स्टाफ की कमी है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है। इस सिलसिले में राज्य सरकार से मांग की गई है कि इस मामले में तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक किशोर कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए। इसके अलावा घायल वन रक्षक विष्णु कुमार को उनके साहसिक कार्य के लिए गैलेंट्री पदोन्नति दी जाए और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक वन रेंज में पर्याप्त वाहन और स्टाफ की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से निपटा जा सके।

सीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में यह भी बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बावजूद आवश्यक हथियारों की अनुपलब्धता और सीमित स्टाफ की स्थिति में कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडराता है। इस मामले में राज्य सरकार से अपील की गई है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों को केंद्र सरकार के मानकों और अन्य राज्यों की तरह सभी आवश्यक सुविधाएं और शक्तियां प्रदान की जाएं, ताकि अवैध खनन और अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। सभी कर्मियों ने राज्य सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है।

मनचलों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेतावनी दी

'तीन दिन में लड़कियां वापस नहीं आई तो बुलडोजर ही नहीं, सब कुछ तहस-नहस कर दिया जाएगा'

कोटा, (निसं)। शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों रामगंजमंडी के दौरे पर आए थे। यहां पर आम लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बजट में घोषणाओं को लेकर उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान सुकेत कस्बे में कुछ परिजनों ने आकर शिकायत की कि उनकी लड़कियों को कोई बहला फुसलाकर ले गया है लेकिन पुलिस दस्तयाब नहीं कर पाई है। यह सुनकर मंत्री दिलावर ने पुलिस अधिकारियों से सवाल-जवाब शुरू कर दिए। उन्होंने बदमाशों को चेतावनी दे डाली कि लड़कियां तीन दिन में वापस नहीं आई तो इस आपराधिक कृत्य में शामिल बदमाशों के घरों पर बुलडोजर ही नहीं चलाया जाएगा बल्कि उनका सब कुछ तहस-नहस कर दिया जाएगा।

दिलावर ने सभा के दौरान ही माईक पर ही चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सब गुंडों से कह रहा हूं, लड़कियां लेकर भाग गए, यदि लड़कियों को दो-तीन दिन में नहीं छोड़ा गया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। बुलडोजर ही नहीं, जो भी चलाना होगा, वह चला दूंगा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और फोन पर डीएसपी रामगंजमंडी को कहा कि सारा काम छोड़कर इन लड़कियों को दस्तयाब करें। दिलावर ने इस दौरान मौके पर मौजूद सुकेत थाना अधिकारी छोटू सिंह से पूछा कि कितनी बालिकाएं गायब है, तब उन्होंने कहा कि तीन लड़कियां गायब है। इस बातचीत के दौरान ही छोटू सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। अभी मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। इनके संबंध में फिलहाल कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। टीम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हमें कुछ समय चाहिए उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दे दी है।

- **शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने गत दिनों रामगंजमंडी में जनसुनवाई के दौरान चेतावनी दी**

इस दौरान दिलावर ने माईक पर ही रामगंजमंडी के डीएसपी घनश्याम मीणा को भी कई बार पुकारा लेकिन वह कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। इसके बाद उनसे फोन पर भी बात की और उन्हें भी निर्देश दिए कि टीम बढ़ाकर बालिकाओं को एक सप्ताह के भीतर दस्तयाब किया जाए। सुकेत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुकेत इलाके से लापता हुई एक लड़की को दस्तयाब किया है।

पुलिस उपअधीक्षक घनश्याम मीणा ने बताया कि 26 फरवरी को फरियादी ने सुकेत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 20 वर्षीय बालिका घर से पार्लर पर जाने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं आई जो दिमाग से कमजोर है। डिप्टी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर युवती के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की और युवती की तलाश के लिए टीम गठित की गई। डिप्टी ने बताया कि गठित टीम ने तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना मिली कि लापता युवती को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ मेले में देखा गया। सूचना पर टीम को रवाना किया गया और टीम ने कार्रवाई करते हुए लापता युवती को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ मेले से डिटेन कर दस्तयाब कर सुकेत लाकर परिजनों को सुपुर्द किया।

तोड़फोड़ और फायरिंग करने के मामले में रिपोर्ट मांगी

श्रीगंगानगर, (निसं)। महियाँवाली में 1 फरवरी को इन्द्राज खान के घर पर जानलेवा हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने नोटिस में पुलिस अधीक्षक से 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है।

पीड़ित ने बताया कि उक्त घटना के बाद चुनावट पुलिस लगातार केस को झूठा साबित करने और मामले को रफा-दफा करने में लगी है। मैंने यह विषय पुलिस महानिदेशक और आईजी बीकानेर को भी अवगत कराया है। घटना के बाद से पूरा परिवार पुलिस निष्क्रियता के चलते भयभीत है। हमने पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से भी सुरक्षा की मांग की है और उनसे मिलकर भी आये हैं। मामले में रजत, प्रिंस, युवराज, सबीर उर्फ़ मोनू, सीमा देवी और अमन पत्नी अमन सोनी मुख्य आरोपी है।

पीड़ित ने बताया कि पुलिस अभी तक मामले में दो महिला अभियुक्तों सीमा देवी और अमन पत्नी अमन सोनी को नहीं पकड़ रही हैं जो कि पूरी घटना के मास्टरमाइंड हैं। सभी अभियुक्तों को राजनितिक संरक्षण प्राप्त हैं। अमन सोनी और सीमा देवी को अभी तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया हैं। पीड़ित इन्द्राज खान ने 18 फ़रवरी को आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो को पत्र लिखकर पुलिस की निष्क्रियता और अपराधियों को दिए जा रहे संरक्षण का मामला अवगत करवाया था जिस पर आयोग ने केस दर्ज कर श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को चार सप्ताह में करवाई रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिया हैं। यहां तक कि पुलिस एफआईआर में अभियुक्त अमन पत्नी अमन सोनी का नाम हैं, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक पहुँच के चलते अपनी जगह अपने पति को जेल भिजवा दिया जबकि घटना में वह खुद शामिल थी। दोनों को नाम एक जैसा होने का फायदा उठाकर, चुनावट पुलिस अमन के साथ मिलकर उसका नाम हटाने में हैं, जबकि वह और सीमा देवी घटना की मास्टरमाइंड हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। अपराधियों ने यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया पर चुनावट पुलिस के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं, और धमकी भरे गानों का इस्तेमाल कर रहे है। पीड़ित के अनुसार मैंने यह अभियुक्तों के रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स् आईजी को भी भिजवाए थे और पुलिस द्वारा उनको संरक्षण दिए जाने का मामला उनके समक्ष रखा था।

मामला मीडिया में आने के बाद और पुलिस महानिदेशक को शिकायत के बाद पुलिस ने 18 फ़रवरी को अभियुक्त रजत उर्फ़ डॉलर और अमन सोनी (अभियुक्त अमन का पति) को गिरफ्तार कर जेल भेजा लेकिन पुलिस ने मिली-भगत से एक जैसा नाम होने का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी अमन की जगह उसके पति अमन सोनी को अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया जिनको कोर्ट द्वारा 24 फ़रवरी को जमानत दे दी गई।

बरामद किए कंकाल की पहचान हुई

पिता ने कपड़ों के टुकड़ों के आधार पर पहचान की थी

श्रीगंगानगर, (निसं)। चूनावढ़ पुलिस द्वारा 24 एमएल रोही से बरामद किए गए कंकाल की दो मार्च को पहचान हो गई है। यह अबोहर की ऋषि कॉलोनी की गली नंबर एक निवासी 26 वर्षीय वंदना अरोड़ा पुत्री हरिकिशन अरोड़ा का शव था। वंदना के पिता ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में अपनी बेटी के क्षत-विक्षत कंकाल के शेष बचे पहने कपड़ों के टुकड़ों के आधार पर पहचान की थी।

जानकारी के अनुसार वंदना 22 फरवरी से लापता थी। उसने अपनी ढाई साल की बेटी को साथ लेकर बीकानेर कैनाल में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। वंदना के पिता की ओर से 26 फरवरी को अबोहर सिटी वन थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इसकी जांच एएसआई भुपेंद्रसिंह कर रहे थे।

चूनावढ़ थाना के हैड कांस्टेबल उदयभान शर्मा ने बताया कि वंदना के पिता हरिकिशन अरोड़ा तथा अबोहर सिटी वन के एएसआई भुपेंद्रसिंह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हमारे सामने वंदना के शव की शिनाख्त की। इसके बाद एएसआई भुपेंद्रसिंह ने शव की सुपुर्दी के लिए चूनावढ़ पुलिस के नाम पत्र लिखकर शव अपने कब्जे ले लिया और एंबुलेंस की मदद से अबोहर के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। वंदना के पिता की ओर से अब उसके पति पर आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। चूनावढ़ पुलिस ने यह क्षत-विक्षत शव पानी में बहकर आए को 24 एमएल की रोही में नहर के अंदर से किसान की सूचना पर बरामद किया था। इसकी पहचान को खबरें प्रकाशित करवाई थी। इसके साथ ही पंजाब और गंगनहर के आसपास के थानों को सूचना ई-मेल से भिजवाई गई थी ताकि इसकी पहचान हो सके।

तेल-घी विक्रेता की फर्म पर दबिश

कोटा, (निसं)। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य गायत्री राठौर एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच गुइटे के मार्गदर्शन व जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी कोटा के निर्देशन में एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर के नेतृत्व में खाद सुरक्षा दल द्वारा मिल रही सूचनाओं के आधार पर सोमवार को खाद्य सुरक्षा दल द्वारा गांधी चौक स्थित एक तेल-घी विक्रेता फर्म के यहां से जेएमडी सरस घी 16 कार्टन में रखा 240 लीटर, तीन टीन में रखा 45 लीटर मधुसूदन घी, 8 टिन में रखा 120 लीटर गोकुल मूंगफली तेल, लाईफ ओके सरसों तेल के नमूने लेकर शक के आधार पर सीज किया गया।

इस समय मूंगफली तेल का बाजार भाव 2700-2800 प्रति 15 किलो टीन है, जबकि यह तेल 2100 प्रति टीन/पीपा बाजार में बेचा जा रहा था। साथ ही विभिन्न ब्रांड का घी बाजार में 500 रु प्रति लीटर से उपर का भाव है और जेएमडी सरस 355 रु प्रति लीटर के भाव से बेचा जा रहा था। उक्त फर्म से तेल-घी के 7 नमूने लिए। टीम ने कोटा में लैंडमार्क में विभिन्न होस्टल व मैस का निरिक्षण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के 15 नमूने लिए।

फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में आईएएस अधिकारी को कोर्ट ने तलब किया

ब्यावर, (निसं)। आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित किये जाने के मामले में फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर फर्जी हस्ताक्षर के एक मामले में ब्यावर कोर्ट ने आईएएस अधिकारी मृदुल सिंह व अन्य को तलब किया है।

तेजा चौक तम्बाकू गली ब्यावर निवासी कन्हैयालाल साहू के एक मामले में उसके पड़ौसी रमेश कुमार सोनी द्वारा नगर परिषद ब्यावर से आवासीय जायदाद की निर्माण स्वीकृति लेकर उसमें वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित कर ली थी, जिसे लेकर कन्हैयालाल साहू ने सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत नगर परिषद ब्यावर से उक्त निर्माण के संबंध में जानकारियां चाही थी जिस पर सूचना नहीं मिलने पर कन्हैयालाल साहू को राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील करनी पड़ी, जिस पर आयोग द्वारा नगर परिषद ब्यावर को आदेश देते हुए 15 दिवस में निःशुल्क सूचना देने के आदेश दिये थे। तत्समय तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त आईएएस मृदुल सिंह थे जो कि लोक सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवैध निर्माणकर्ता रमेश कुमार सोनी व अन्य के साथ मिलीभगत कर राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के आदेश पर सूचना देने से बचने के उद्देश्य से नगर परिषद ब्यावर में ही कन्हैयालाल साहू के नाम से न केवल जाली व कूटरचित संतुष्टि पत्र बना डाला, बल्कि उक्त कूटरचित दस्तावेज पर कन्हैयालाल साहू के फर्जी हस्ताक्षर तक कर दिये व उक्त कूटरचित संतुष्टि पत्र को असली बताते हुए राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर को भिजवा दिया।

उक्त फर्जीकारिता व कूटरचना की जानकारी होते ही कन्हैयालाल साहू ने तुरन्त इसकी जानकारी तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त आईएएस मृदुल सिंह को व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित में दी लेकिन मृदुल सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर परिवादी ने जिला कलेक्टर ब्यावर व निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने भी अपने अधिकारियों को व अन्य दोषीयों को बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की। जिस पर मजबूर होकर पीड़ित कन्हैयालाल साहू ने अपने अधिवक्ता नीलेश बुरड़ के मार्फत दोषियों के विरूद्ध ब्यावर कोर्ट में इस्तागासा पेश किया जिसमें परिवादी कन्हैयालाल साहू ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज भी करवाये, जिसके बाद कोर्ट ने उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए गंभीर मामला बनना पाया व सभी दोषियों मृदुल सिंह (आई.ए.एस.), तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, रमेश कुमार सोनी पुत्र सुखदेव सोनी, तैजा चौक तम्बाकू गली, दीपक सोनी पुत्र रमेश कुमार सोनी, तैजा चौक, तम्बाकू गली, महेश सोनी पुत्र रमेश कुमार सोनी, तैजा चैक, तम्बाकू गली, मनीष सोनी पुत्र रमेश कुमार सोनी, तेजा चौक, तम्बाकू गली, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस अपराध में शामिल नगर परिषद ब्यावर के अधिकारी एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी कर नौ अप्रेल को कोर्ट में तलब किया है।

हमले में एक घायल

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ क्षेत्र में संगम इंडिया लिमिटेड, डेनिम के मैनेजर संजय व्यास पर सोमवार सुबह बीएसएल गेट के पास एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यास को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

जानकारी के अनुसार संजय व्यास संगम इंडिया लिमिटेड, डेनिम यूनिट, बीलियाकलां में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। व्यास सोमवार सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार को बीएसएल गेट के नजदीक देवनारायण मंदिर के सामने ब्रेकर पर बाबू गुर्जर, बृजेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर व कमलेश गुर्जर सहित 10-15 लोगों ने रोक और गाली-गलौच करते हुए लोहे के पाइप व सरियों से व्यास पर कातिलाना हमला कर दिया। हमले में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई और वे लहूलुहान हो गये।

पूर्व पदाधिकारी पर दो करोड़ का गबन करने का आरोप

अजमेर, (कासं)। जनाना अस्पताल के पास श्री वाटिका अपार्टमेंट से संबंधित करीब दो करोड़ की राशि गबन करने का आरोप सोसायटी के पूर्व पदाधिकारी मनोज गुर्जर पर लगाया है। आरोप है कि मनोज गुर्जर ने सोसायटी की महिला उपाध्यक्ष और उसके पति के साथ रविवार को मारपीट की। महिला नेहरू अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, जबकि आरोपित के खिलाफ क्रिश्चनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

- **जनाना अस्पताल के पास श्री वाटिका अपार्टमेंट से संबंधित करीब दो करोड़ की राशि गबन का आरोप**

इस संबध में पुलिस को घटना की रिपोर्ट देने वाले अमन शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि श्री वाटिका सोसायटी में फ्लैट है जो सोसायटी ने जरूरतमंदों को आवंटित किए हैं। इस सोसायटी के माध्यम से पूरे अपार्टमेन्ट में करीब साढे चार सौ फ्लेट बने हुए है। अमन कुमार का आरोप है कि पूर्व में मनोज गुर्जर सोसायटी का काम देखता था। इस बीच उसने फर्जी दस्तावेज लगाकर सोसायटी की सवा करोड़ रूपए की एफडी तुड़वाकर अपने उपयोग में ले ली। इसके अलावा करीब एक करोड़ रूपए आवंटन राशि में से भी हड़प कर ली। इस संबंध में सोसायटी के पदाधिकारियों ने कई बार कहा व रकम वापस देने के लिए कहा तो वह टालता रहा। सोसायटी ने उसे काम से हटा दिया और गबन से संबंध में क्रिश्चनयगंज पुलिस थाने में लिखित में शिकायत की गई है। अमन का कहना था कि 28 फरवरी को वह अपनी पत्नी और सोसायटी की उपाध्यक्ष शिवानी के साथ श्री वाटिका आया था। जहां मनोज गुर्जर उसे मिला और उसने जबरन उसे धमकी देना व अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौच करना शुरू कर दिया। मनोज का आरोप है कि इस दौरान मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने भी उसे समझाया, लेकिन उसने डंडे से हमें मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे भी डंडे से मारा और पत्नी के सिर पर भी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। मनोज का कहना था पत्नी शिवानी को नेहरू अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना के बाद मनोज गुर्जर फरार बताया जाता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

दो पत्रकारों ने एक व्यक्ति से ब्लैकमेल कर एक लाख मांगे

झुंझुनूं, (निसं)। जिला मुख्यालय के दो पत्रकारों ने एक व्यक्ति से एक लाख रूपए की अनुचित मांग की। पैसे नहीं देने और उनकी बात नहीं मानने पर इस व्यक्ति के खिलाफ गलत तथ्यों के साथ खबरें प्रकाशित कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब इस मामले में पीड़ित ने थाने में पत्रकारों और उनके साथ षड़यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित भी पेशे से पत्रकार है।

पुलिस में दर्ज करवाई एफआईआर के अनुसार जिला मुख्यालय पर कार्यरत पत्रकार संदीप केडिया ने झुंझुनूं के पत्रकार पिताम्बर शर्मा, प्रदीप गढ़वाल, सुरेश सैनी, चूरू के पत्रकार राधेश्याम चोटिया, दो समाचार पत्रों के संपादक तथा उनके चूरू व झुंझुनूं ब्यूरो प्रभारी के अलावा बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी, उनके पति कर्नल दिनेश कुमार तथा एक एनजीओ संचालक बनवारीलाल सैनी व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें परिवादी संदीप केडिया ने आरोप लगाया कि पिताम्बर शर्मा, प्रदीप गढ़वाल, बनवारीलाल सैनी तथा राधेश्याम चोटिया चूरू ने उससे एक लाख रूपए और बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी तथा उसके पति कर्नल दिनेश कुमार से माफी मांगने की बात कही। जब संदीप केडिया ने आरोपियों की बात नहीं मानी तो उन्होंने चूरू में दर्ज एक पॉक्सो मामले की पुरानी खबर को गलत तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया।

- **मामले में पीड़ित ने थाने में कोतवाली में मामला दर्ज कराया है**

इसमें उन्होंने कोर्ट के सही तथ्यों से परे गलत तथ्यों को सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में प्रसारित किया। इसके अलावा एक पॉक्सो पीड़िता की पहचान को भी उजागर कर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया। आरोपियों ने षड़यंत्र रचकर संदीप केडिया के खिलाफ पूर्व में दी गई धमकी के अनुसार चूरू में एक झूठा पॉक्सो का मामला भी दर्ज करवाया। इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली में अक्टूबर 2024 में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय मामला परिवाद की जांच में रख लिया, जिसके बाद परिवादी संदीप केडिया ने एसपी से गुहार लगाई, लेकिन फिर भी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद परिवादी संदीप केडिया कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तीन बार कोतवाली पुलिस को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया। कोतवाली पुलिस ने अंतिम जांच रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपियों के विरूद्ध संज्ञय अपराध बनना पाया जाता है। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन मामलों को लेकर आरोपियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। जिनके पक्ष का हमें इंतजार रहेगा।

केडिया ने बताया कि उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ऐसे सारे सबूत वे जांच में शामिल करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और पुलिस द्वारा समय-समय पर की गई आरोपियों के विरूद्ध टिप्पणी को भी उपलब्ध करवाएंगे।

चाकूबाजी के मामले में तीन गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने गत दिनों पीएनटी चौराहे पर हुई चाकूबाजी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि शाहपुरा हाल पटेल नगर निवासी चांद खां पुत्र शौकत खान कायमखानी ने 25 जनवरी को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जनवरी को उसका बेटा इरशाद, बाबू उर्फ विश्वजीत, लोकेश, अक्षत, भरत एसटेक स्कूल के पास बैठकर कार्यालय संबंधित मीटिंग कर रहे थे। बातो ही बातों में लोकेश बलाई व बाबू के बीच विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष वहां से रवाना होकर रात 11:30 बजे आपस में बातचीत करते हुए झगड़ने लगे। इसी दौरान इरशाद, बाबू को छुड़ाने लगा तो भरत जायसवाल ने इरशाद को चाकू मार दिया, जिससे इरशाद के शरीर पर कई जगह चोटें आई। भरत जयसवाल के साथ इरशाद से मारपीट करने में सहयोग करने वाले लोकेश, कमल और सूरज नायक थे। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर केस दर्ज कर जांच की। पुलिस ने इस मामले में पुर बाइपास से लोकेश कुमार बलाई, कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

वाल्मीकी समाज की बारात का सर्व हिन्दू समाज ने स्वागत किया

करौली, (नि.सं.) सवाई माधोपुर के गम्भीरा भाडौती से बाबूलाल वाल्मिकी के पुत्र बिष्णु की बारात करौली जिले के सपोटरा तहसील के गाँव रानीपुरा जाखौदा में कालू हरिजन की बेटी शिवानी की बारात का सर्वसमाज के लोगो ने रानीपुरा में स्वागत किया, जिसमें सभी बारातियों को तिलक लगाकर व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं अल्पाहार करवाया गया। बारात में आये प्रत्येक बाराती को श्रीफल भेंट किया गया। श्रीफल को हिन्दू संस्कृति के अनुसार अशोक के पत्ते, आम के पत्ते एवं कलावा से बाँधकर संस्कृति का परिचय दिया गया। बारात के स्वागत में लगभग 15 समाजों के 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। कार्यक्रम में दूसरे गाँवों से भी काफी मात्रा में स्वागत करने हेतु समाज सेवक पहुंचे। इसके बाद ग्राम के पंच पटेलों एवं सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मिलकर दूल्हे को बग्गी (रथ) पर बिठाकर धूमधाम से वन्देमातरम्, जय श्री राम के नारों के साथ निकासी निकाली। बारात में आये वाल्मीकि समाज के 75 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा सम्मान पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। समस्त ग्रामीणों को ऐसा दृश्य देखकर प्रसन्नता हुई। क्रार्यक्रम में कृष्णवल्लभ शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, बाबूलाल सेवानिवृत्त रेल्वे, पप्पू लाल मीना, मुनेश चंद मीना, चिरंजी पटेल, रामभरोसी डीलर, जनमेद पटेल, शिवकुमार गुप्ता, रामधन डाबिर, अमृतलाल जाखौदा, लक्ष्मी पटेल, श्याम सुंदर इनायती, बजरंगालाल पटेल, रामनिवास मीना, मनकेश, सुरज्ञानी, मुकेश, बाबूलाल सैनी, राजेन्द्र मीणा, मदनमोहन कांवटी, भरतलाल रानीपुरा एवं ग्रामवासियों का सहयोग रहा।

15 समाजों के 100 से अधिक लोगों ने बारातियों का स्वागत किया।